न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बूंदी

A 6/1

…ठासीन अधिकारी– अमानुल्लाह खान,
आर.ए.एस.

…सल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
…38/प्रा0पत्र/19	09.10.2019	05.03.2021

1. कैलाश
2. देवलाल

पि0 शोजी जाति गूजर निवासी ग्राम फतेहपुरा तहसील नैंनवा जिला बून्दी। –प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जर्ये नायब तहसीलदार नैंनवा जिला बून्दी। –अप्रार्थी

उपस्थित–

प्रार्थीगण की ओर से – रामगोपाल गूजर एड0
अप्रार्थी के की ओर से – पेरोकार सरकार

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 47 जा0दी0 न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.01.2017 के पुर्नावलोकन हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर इस न्यायालय की पत्रावली संख्या 208/अपील/2016 निर्णय दिनांक 24.01.2017 जिला अभिलेखागार से तलब की गई।

बहस उभयपक्ष समाअत की गई।

बहस के दौरान अभिभाषक प्रार्थीगण ने व्यक्त किया कि नायब तहसीलदार नैंनवा के आदेश दिनांक 23.09.2016 के विरूद्व दिनांक 25.11.2016 को श्रीमान के न्यायालय में अपील पेश की गई थी। न्यायालय द्वारा दिनांक 24.01.2017 को उक्त अपील का निर्णय पारित किया जा चुका है। निर्णय दिनांक 24.01.2017 में प्रार्थी/अपीलार्थी देवलाल का नाम सहवन से अंकित होने से रह गया है। प्रार्थी/अपीलांट देवलाल का नाम अंकन नहीं होने से निर्णय दिनांक 24.01.2017 के विरूद्व अपील प्रस्तुत नहीं कर सकता है। अतः निर्णय दिनांक 24.01.2017 प्रार्थी/अपीलांट देवलाल आ0 शोजी जाति गूजर निवासी फतेहपुरा तहसील नैंनवा जिला बून्दी का नाम कैलाश के साथ जोड़े जाने के आदेश प्रदान करे।

दोराने बहस पेरोकार सरकार में तर्क प्रस्तुत किये कि लिपिकीय त्रुटि या टंकण त्रुटि से प्रार्थी/अपीलांट देवलाल का नाम निर्णय दिनांक 24.01.2017 में सहवन से टंकित नहीं हुआ है। निर्णय दिनांक 24.01.2017 में प्रार्थी/अपीलांट देवलाल का नाम अंकित करने में कोई आपत्ति नहीं है।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन कर इस न्यायालय की पत्रावली संख्या 208/अपील/2016 निर्णय दिनांक 24.01.2017 का अवलोकन किया गया है। नायब तहसीलदार नैंनवा के प्रकरण संख्या 1502/2016 निर्णय दिनांक 23.09.2016 के विरूद्व इस न्यायालय में अपीलांट कैलाश व देवलाल ने दिनांक 15.11.2016 को अपील प्रस्तुत की

अति0 जिला कलक्टर

A 6/2

...न्न अपीलांट कैलाश व देवलाल का अंकन है। उक्त पत्रावली में उपलब्ध निर्णय ...24.01.2017 में केवल अपीलांट कैलाश के नाम का ही अंकन है। त्रुटिवश देवलाल ...न टंकित होने से रह गया है। अतः न्यायहित में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र ...र कर इस न्यायालय द्वारा पारित ओदश 24.01.2017 में अपीलांट संख्या 2 के रूप ...देवलाल आ0 शोजी जाति गूजर निवासी फतेहपुरा तहसील नैंनवा जिला बून्दी का नाम ...तिस्थापित किये जाने के आदेश दिये जाते है। अपीलांट देवलाल आ0 शोजी जाति गूजर निवासी फतेहपुरा तहसील नैंनवा जिला बून्दी का नाम निर्णय दिनांक 24.01.2017 में लाल स्याही से अंकित किया जावे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर मूल पत्रावली के संलग्न होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 05.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति0 जिला कलक्टर,
बूंदी